पत्र क्रमांक 7/1/2020–2 मंत्रिमण्डल

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

सेवा में,

सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार ।

दिनांक, चण्डीगढ 2 सितम्बर, 2020 ।

विषयः– हरियाणा सरकार कार्य संचालन नियम 1977 में संशोधन से संबंधित अधिसूचना।

....

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि हरियाणा सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रिमण्डल अनुभाग द्वारा जारी अधिसूचना No. 7/1/2020-2 Cabinet, Dated the 1st September, 2020 सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित की जाती है।

2. अधिसूचना की प्रतियां मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार की वैबसाईट ***csharyana.gov.in*** में ***Cabinet Section*** पर उपलब्ध हैं

भवदीय,

अधीक्षक, मंत्रिमण्डल
कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

पृष्ठांकन क्रमांक 7/1/2020–2 मंत्रिमण्डल दिनांक 2 सितम्बर, 2020 ।

एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

1. मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/अतिरिक्त प्रधान सचिव/उप प्रधान सचिव /प्रधान विशेष कार्य अधिकारी/ विशेष कार्य अधिकारी ।
2. मुख्य मंत्री/उप मुख्य मंत्री /सभी मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण के विशेष वरिष्ठ सचिव /वरिष्ठ सचिव/सचिव/निजी सचिव ।

अधीक्षक, मंत्रिमण्डल
कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 125-2020/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, SEPTEMBER 1, 2020 (BHADRA 10, 1942 SAKA)

हरियाणा सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रिमण्डल सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक 1 सितम्बर, 2020

संख्या 7/1/2020–2 मंत्रिमण्डल. – भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं, सत्यदेव नारायण आर्य, राज्यपाल, हरियाणा, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार कार्य संचालन नियम, 1977, को आगे संशोधित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाता हूँ , अर्थात् :–

1. ये नियम हरियाणा सरकार कार्य संचालन (संशोधन) नियम, 2020, कहे जा सकते हैं ।

2. हरियाणा सरकार कार्य संचालन नियम, 1977 (जिसे, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, ''अनुसूची'' शब्द, जहां कहीं भी आये, के स्थान पर, ''अनुसूची–।'' शब्द तथा अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

3. उक्त नियमों में, नियम 50–ख के बाद, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :–

''50–ग मंत्रीपरिषद, समय–समय पर, अनुसूची–II में विनिर्दिष्ट मामलों पर, टिप्पणी करने, परीक्षण करने तथा निर्णय करने के लिए परिषद् की स्थायी समितियों का गठन कर सकती है ।''।

4. उक्त नियमों में, विद्यमान अनुसूची के बाद, अन्त में निम्नलिखित अनुसूची जोड़ी जाएगी, अर्थात् :–

"अनुसूची–II

(देखिए नियम 50ग)

परिषद् की स्थायी समितियां तथा उनके कृत्य

क्रम संख्या	स्थायी समिति का नाम	कृत्य
1	2	3
1	प्रशासकीय रिपोर्टों पर स्थायी समिति	परिषद् के सम्मुख, समय–समय पर, रखी गई विभागों की प्रशासनिक रिपोर्ट पर टिप्पणी करना, परीक्षण करना तथा निर्णय करना।''।

चण्डीगढ़:
दिनांक 27 अगस्त, 2020.

सत्यदेव नारायण आर्य,
राज्यपाल हरियाणा।

चण्डीगढ़:
दिनांक 28 अगस्त, 2020.

केशनी आनन्द अरोड़ा,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

HARYANA GOVERNMENT

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
CABINET SECRETARIAT

Notification

The 1st September, 2020

No. 7/1/2020-2 Cabinet.— In exercise of the powers conferred by clauses (2) and (3) of article 166 of the Constitution of India, I, Satyadeo Narain Arya, Governor of Haryana, hereby makes the following rules further to amend the Rules of Business of the Government of Haryana, 1977, namely:-

1. These rules may be called the Rules of Business of the Government of Haryana (Amendment) Rules, 2020.

2. In the Rules of Business of the Government of Haryana, 1977 (hereinafter called the said rules), for the word "Schedule" wherever occurring, the word and figure "Schedule I" shall be substituted.

3. In the said rules, after rule 50B, the following rule shall be inserted, namely:-

"50C. The Council of Ministers may constitute Standing Committees of the Council to note, examine and take decisions on matters as may be specified in Schedule II, from time to time.".

4. In the said rules, after existing Schedule, the following Schedule shall be added, namely:-

"SCHEDULE II

[see rule 50C]

STANDING COMMITTEES OF THE COUNCIL AND THEIR FUNCTIONS :-

Serial Number	**Name of the Standing Committee**	**Functions**
1	**2**	**3**
1	Standing Committee on Administrative Reports	To note, examine and take decisions on Administrative Reports of the Departments placed before the Council from time to time.".

Chandigarh:
The 27th August, 2020.

SATYADEO NARAIN ARYA,
Governor of Haryana.

Chandigarh:
The 28th August, 2020.

KESHNI ANAND ARORA,
Chief Secretary to Government Haryana.

8890—C.S.—H.G.P., Pkl.